उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल

दिनांकः 18.01.2013

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में न्यायालय की निष्प्रयोज्य सामग्री (पुरानी लकड़ी/टिन–शैड़/स्टील तथा लोहे के पाइप इत्यादि) की निलामी दिनांक 29–01–2013 को अपराह्न 3:30 बजे की जानी है। नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति/फर्म को बोली बोलने से पूर्व रु.5,100/– **(रु.5,000/– रिफन्डेबल तथा रु.100/– नॉन–रिफन्डेबल)** की नगद धनराशि उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के रोकड़ अनुभाग में जमानत के रुप में जमा करनी होगी।

इच्छुक व्यक्ति/फर्म, समस्त शर्तों/नियमों का विवरण तथा सामग्री का अवलोकन दिनांक 29–01–2013 को दोपहर 2:30 बजे से 3:00 बजे के मध्य न्यायालय के नजारत अनुभाग से सम्पर्क कर प्राप्त कर सकता है। शर्तों/नियमों का विवरण उच्च न्यायालय की वैबसाइट http://highcourtofuttarakhand.gov.in पर भी उपलब्ध है।

ह0/–
महानिबन्धक
उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।

प्रतिलिपि निम्न को इस आशय के साथ प्रेषित है कि वे अपने नोटिस बोर्ड पर इसे वृहद प्रचार हेतु चस्पा करेंः–

1. जिला न्यायाधीश, नैनीताल
2. आयुक्त, कुमांऊ मण्डल, नैनीताल
3. जिलाधिकारी, नैनीताल
4. जिला सूचना अधिकारी, नैनीताल
5. अधिशाषी अभियन्ता, नगर पालिका परिषद, नैनीताल
6. लोक निर्माण विभाग, उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल
7. न्यायालय के नोटिस बोर्ड एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा करने हेतु।

ह0/–
महानिबन्धक
उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।

नियम एवं शर्तें

1. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति/फर्म को बोली बोलने से पूर्व रु.5,100/– **(रु. 5,000/– रिफन्डेबल तथा रु.100/– नॉन–रिफन्डेबल)** की नगद धनराशि उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के रोकड़ अनुभाग में जमानत के रुप में जमा करनी होगी।

2. असफल बोली दाताओं को रु.5,000/– का भुगतान उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के रोकड़ अनुभाग द्वारा उसी दिन कर दिया जाएगा। सफल बोली दाता की रु.5,000/– की धनराशी, बोली की समस्त धनराशी जमा करने तथा सामान को उठवाने के उपरान्त ही वापस की जाएगी।

3. समस्त सामग्री को 03 दिवसों के अन्दर उठाना होगा। 03 दिवसों के अन्दर सामान न उठाने तथा/अथवा समस्त धनराशी जमा न कर पाने की स्थिति में समस्त सुरक्षा धनराशी जब्त कर ली जाएगी।

4. अलग–2 सामान की बोली नहीं लगाई जाएगी। बोली दाताओं को समस्त सामग्री हेतु बोली बोलनी होगी।

5. निलामी की बोली पूर्व निर्धारित न्यूनतम मूल्य से शुरु होगी तथा किसी भी दशा में निर्धारित न्यूनतम मूल्य से नीचे विक्रय नहीं की जाएंगी।

6. इच्छुक व्यक्ति/फर्म, समस्त शर्तों/नियमों का विवरण तथा सामग्री का अवलोकन दिनांक 27–01–2013 को दोपहर 2:30 बजे से 3:00 बजे के मध्य न्यायालय के नजारत अनुभाग से सम्पर्क कर प्राप्त कर सकता है।

7. माननीय उच्च न्यायालय को बिना कारण बताए, निलामी की तिथि में परिवर्तन करने तथा समस्त निलामी प्रक्रिया को निरस्त करने का अधिकार, होगा।

8. यदि माननीय न्यायालय के संज्ञान में यह बात आती है कि बोली दाताओं ने आपस में सांठ–गांठ कर ली है जिसकी वजह से संस्था को उचित मूल्य नहीं मिल रहा है तो ऐसी स्थिति में निलामी निरस्त/स्थगित करने का पूर्ण अधिकार माननीय न्यायालय को होगा।

9. निलामी में बोली बोलने से पूर्व, इच्छुक व्यक्ति/फर्म को **नियम एवम् शर्तों** की कॉपी तथा **संलग्नक फार्म–1** को भरकर तथा यथास्थान हस्ताक्षर करके जमा करना होगा।

10. निलामी सम्बन्धी किसी भी कानूनी कार्यवाही का वाद क्षेत्र केवल जनपद नैनीताल स्थित न्यायालय होगा।

ह0/–
महानिबन्धक
उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।

फार्म–1

- व्यक्ति / फर्म का नामः– ....
- पूरा पताः– ....
  ....
  ....
- मोबाइल / फोन नम्बरः– ....
- सुरक्षा धनराशी **रु.5,100 /–** (रु.5,000 / – रिफन्डेबल तथा रु.100 / – नॉन–रिफन्डेबल) को रोकड़ अनुभाग में जमा करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षरः– ....

स्थानः–

दिनांकः– व्यक्ति / फर्म के हस्ताक्षर